रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1983/आश्विन 8, 1905

No. 438] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1983/ASHVINA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का० आ० 702 (अ):—बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायिओं के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 (1949 का 46) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक अक्टूबर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे कि उक्त अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

राज्य :	संघ शासित क्षेत्र :
1. आंध्र प्रदेश	1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. असम	2. अरुणाचल प्रदेश
3. बिहार	3. चण्डीगढ़
4. गुजरात	4. दिल्ली
5. हरियाणा	

राज्य :	संघ शासित क्षेत्र :
6. हिमाचल प्रदेश	
7. जम्मू तथा कश्मीर	
8. कर्नाटक	
9. केरल	
10. मध्य प्रदेश	
11. महाराष्ट्र (जहां अधिनियम पहले से लागू है, राज्य के उस भाग के अलावा)	
12. मणिपुर	
13. मेघालय	
14. नागालैण्ड	
15. राजस्थान	
16. तमिलनाडु	
17. त्रिपुरा	
18. उत्तर प्रदेश	
19. पश्चिम बंगाल	

[सं० एफ० 18/8/82-बी० ओ०-1]

वी० के० सिब्बल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :--उड़ीसा में यह अधिनियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 278 पर प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 1950 की अधिसूचना सं० सा० आ० 270 के अंतर्गत पहली अगस्त, 1950 से और पंजाब राज्य में भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 1597 पर प्रकाशित दिनांक 18 सितम्बर, 1951 की अधिसूचना संख्या सं० सा० आ० 1431 के अंतर्गत पहली अक्टूबर, 1951 से प्रवृत्त किया गया था।

इस आधनियम के विस्तार को 1963 के विनियम 6, धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक और 1963 के विनियम 7, धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी तक बढ़ा कर वहां प्रवृत्त किया गया और इसके विस्तार को 1963 के विनियम 11, धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव और 1965 के विनियम 8, धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप मिनीकाय और अमीन-दीव द्वीप समूह तक बढ़ाया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 702(E)—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949 (46 of 1949), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1983 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the following States and Union territories, namely:—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Andaman and Nicobar Islands
2. Assam	2. Arunachal Pradesh
3. Bihar	3. Chandigarh
4. Gujarat	4. Delhi
5. Haryana	
6. Himachal Pradesh	
7. Jammu & Kashmir	
8. Karnataka	
9. Kerala	
10. Madhya Pradesh	
11. Maharashtra (except the Part of the State to which the Act is already in force)	
12. Manipur	
13. Meghalaya	
14. Nagaland	
15. Rajasthan	
16. Tamil Nadu	
17. Tripura	
18. Uttar Pradesh	
19. West Bengal	

[No. F. 18/8/82-B.O.I]

V. K. SIBAL, Joint. Secy.

Note:—The Act was brought into force in Orissa on 1st August, 1950, vide Notification No. S.R.O. 270, dated the 12th July, 1950, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 278, and in the State of Punjab on the 1st October, 1951, vide Notification No. S.R.O. 1431, dated 18th September, 1951, Gazette of India, Pt. II., Sec. 3, p. 1597.

The Act was extended to and brought into force in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. 1 and Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. 1 and extended to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983